भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 770

05 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों म आयुष सुविधाएं

770. डॉ. उमेश जी. जाधवः
डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादवः
श्री अजय कुमार मंडलः
श्री विष्णु दत्त शमाः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री बी. बी. पाटीलः
श्री संजय काका पाटीलः

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) देश म विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म उपलब्ध आयुष सुविधाओं का मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, पद्धति-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष रूप से महाराष्ट्र, कनाटक के उत्तरी भाग, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के भागलपुर जिले म आयुष अस्पतालों/कद्रों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) इन अस्पतालों म नए आयुष अस्पतालों और सुविधाओं के अनुमोदन के लिए चयन मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध म विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए ह?

<u>उत्तर</u>

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क): मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित देश म ग्रामीण क्षेत्रों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, पद्धति-वार उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे **संलग्नक-I** पर दिए गए ह।

(ख): सावर्जानिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, आयुष अस्पतालों/कद्रों का स्थापना का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का कद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों का स्थापना और प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) म आयुष सुविधाओं का सह-स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। महाराष्ट्र, कनाटक, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनका राज्य वार्षिक काय योजनाओं (एसएएपी) म प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 50 बिस्तर तक के कुल 101 एकीकृत आयुष अस्पतालों का स्थापना और पीएचसी/सीएचसी/डीएच का 786 आयुष इकाइयों म एनएएम के तहत मौजूदा परिसरों म परिवतन/परिवधन का काय करने के लिए और फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **संलग्नक-II** म दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक बिहार के भागलपुर जिले का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ): एनएएम दिशानिदशों के अनुसार राज्य वार्षिक काय योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित एक अंतर को भरने के आधार पर 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों का स्थापना सहित विभिन्न घटकों का वित्त पोषण का व्यवस्था का जाती है। आयुष अस्पतालों का चयन उनका आवश्यकता के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार एनएएम के दिशानिदशों म किए गए प्रावधान के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने एसएएपी के माध्यम से 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों का स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते ह।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय अवसंरचना विकास के लिए एक मुश्त सहायता के रूप म 900.00 लाख रूपये का वित्तीय सहायता का प्रावधान और श्रमशक्ति के वेतन एंव औषधियो/आहार/उप भोज्य वस्तुओं के लिए 150.00 लाख रूपये का आवर्ती सहायता करते हुए एनएएम के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित कर रहा है।

*****

1-4-2018 को स्थिति के अनुसार आयुष अस्पतालों की राज्यवार/पद्धतिवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योग	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	सोवा-रिग्पा	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र									
1	आंध्र प्रदेश	3	2	0	0	0	3	0	8
2	अरुणाचल प्रदेश	10	0	0	0	0	2	0	12
3	असम	1	0	0	0	0	3	0	4
4	बिहार	5	1	0	0	0	2	0	8
5	छत्तीसगढ़	11	1	0	1	0	3	0	16
6	दिल्ली	2	1	0	0	0	2	0	5
7	गोवा	1	0	0	0	0	1	0	2
8	गुजरात	42	0	0	0	6	16	0	64
9	हरियाणा	4	0	0	0	0	0	0	4
10	हिमाचल प्रदेश	33	0	0	0	1	0	0	34
11	जम्मू-कश्मीर	1	1	0	0	0	0	0	2
12	झारखंड	1	0	0	0	0	4	0	5
13	कर्नाटक	170	18	0	3	6	16	0	213
14	केरल	126	0	1	0	1	34	0	162
15	**मध्य प्रदेश**	40	4	0	0	0	26	0	70
16	महाराष्ट्र	70	6	0	0	0	50	0	126
17	मणिपुर	2	1	0	1	0	6	0	10
18	मेघालय	3	0	0	0	0	7	0	10
19	मिजोरम	1	0	0	0	0	1	0	2
20	नगालैंड	1	0	0	0	0	1	0	2
21	ओडिशा	8	0	0	0	0	6	0	14
22	पंजाब	5	0	0	0	0	4	0	9
23	राजस्थान	117	11	0	1	2	6	0	137
24	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0	1
25	तमिलनाडु	2	1	289	1	0	1	0	294
26	त्रिपुरा	2	0	0	0	0	2	0	4
27	उत्तर प्रदेश	2104	204	0	0	0	8	0	2316
28	उत्तराखंड	402	2	0	0	0	1	0	405
29	पश्चिम बंगाल	6	1	0	0	0	11	0	18
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	1	0	1	0	5
31	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	1	0	2
32	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	1	0	0	0	0	1	0	2
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0

35	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
36	□□□□□	9	4	0	0	1	6	0	20
	□□ (□)	3186	259	291	8	17	225	0	3986
	□. सीजीएचएस एवं केंद्रीय सरकार के संगठन	19	8	7	6	2	7	0	49
□□ (□+□)		3205	267	298	14	19	232	0	4035

स्रो□: आयुष इन इंडिया 2018

1-4-2018 □ी स्थि□ति के अनुसार आयुष औषधालयों की राज्यवार/पद्धतिवार संख्या

क्र. □□	□ज्□/□□ □ज्□ क्षेत्र	□ □□□	□□□□□	सि□द्ध	□□□	प्रा□कि□□ चिकित्सा	□□म्□□□□□	□□□□-रि□ग्□□	□□□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	आंध्र प्रदेश	467	112	0	0	20	266	0	865
2	अरुणाचल प्रदेश	17	1	0	0	0	95	0	113
3	असम	380	1	0	0	0	75	0	456
4	बिहार	1082	449	0	0	0	644	0	2175
5	छत्तीसगढ़	956	26	0	0	0	112	0	1094
6	दिल्ली	40	20	0	0	0	103	0	163
7	गोवा	96	0	0	0	0	61	0	157
8	गुजरात	560	0	0	16	14	216	0	806
9	हरियाणा	459	18	0	0	0	20	0	497
10	हिमाचल प्रदेश	1150	3	0	0	0	14	4	1171
11	जम्मू-कश्मीर	240	177	0	0	0	0	25	442
12	झारखंड	220	54	0	0	0	92	0	366
13	कनाटक	592	50	0	0	5	43	0	690
14	केरल	806	1	6	0	1	669	0	1483
15	□ध्□ प्र□□	1496	64	0	0	0	213	0	1773
16	महाराष्ट्र	466	25	0	0	0	0	0	491
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	1	0	1
18	मेघालय	7	0	0	0	0	6	0	13
19	मिजोरम	2	0	0	0	0	26	0	28
20	नगालड	0	0	0	0	0	1	0	1
21	ओडिशा	624	9	0	35	30	638	0	1336
22	पंजाब	489	35	0	1	0	111	0	636
23	राजस्थान	3580	269	0	0	3	246	0	4098
24	सिक्किम	2	0	0	0	0	9	1	12
25	तमिलनाडु	99	64	815	173	0	107	0	1258
26	त्रिपुरा	37	0	0	0	0	73	0	110
27	उत्तर प्रदेश	2104	49	0	0	0	1575	0	3728
28	उत्तराखंड	142	3	0	0	0	60	3	208
29	पश्चिम बंगाल	502	7	0	0	0	1523	0	2032
30	अंडमान और	13	0	0	6	0	18	0	37

	निकोबार द्वीप समूह								
31	चंडीगढ़	14	1	0	0	0	15	0	30
32	दादर एवं नगर हवेली	1	0	0	0	0	1	0	2
33	दमन और दीव	6	0	0	0	0	6	0	12
34	लक्षद्वीप	8	0	0	0	0	7	0	15
35	पुडुचेरी	27	0	26	4	0	17	0	74
36	[illegible]	418	183	1	0	28	196	0	826
	[illegible] ([illegible])	17102	1621	848	235	101	7259	33	27199
	[illegible]. सीजीएचएस एवं केंद्रीय सरकार के संगठन	317	36	35	60	14	289	1	752
	[illegible] ([illegible]+[illegible])	17419	1657	883	295	115	7548	34	27951

स्[illegible]: आयुष इन इंडिया 2018

विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 50 बिस्तर तक एकीकृत अनुमोदित आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य-वार स्थिति:-

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	2
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	2
5	बिहार	1
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	8
8	दादरा एवं नगर हवेली	1
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	0
11	गोवा	2
12	गुजरात	2
13	हरियाणा	1
14	हिमाचल प्रदेश	2
15	जम्मू-कश्मीर	4
16	झारखंड	1
17	कनाटक	2
18	केरल	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	5
21	महाराष्ट्र	4
22	मणिपुर	4
23	मिजोरम	1
24	मेघालय	2
25	नगालड	4
26	ओडिशा	3
27	पुदुचेरी	2
28	पंजाब	2
29	राजस्थान	6
30	सिक्किम	1
31	तमिलनाडु	3
32	तेलंगाना	3
33	त्रिपुरा	2
34	उत्तर प्रदेश	21
35	उत्तराखंड	3
36	पश्चिम बंगाल	2
कुल		101

विभिन्न [illegible] क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पीएचसी/सीएचसी/डीएच में सह-[illegible] इकाइयों को एनएएम के तहत मौजूदा परिसरों में परिवर्तन/परिवर्धन करने और फर्नीचर, [illegible] के लिए दी [illegible]

क्र.[illegible]	[illegible] क्षेत्र का नाम	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	8	5
2	आंध्र प्रदेश	2	1	1
3	अरुणाचल प्रदेश	6	10	5
4	असम	56	1	32
5	बिहार	0	0	0
6	चंडीगढ़	2	8	4
7	छत्तीसगढ़	0	0	16
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0
10	दिल्ली	40	0	0
11	गोवा	21	7	2
12	गुजरात	0	0	0
13	हरियाणा	8	13	10
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
16	झारखंड	0	0	0
17	कर्नाटक	0	10	0
18	केरल	0	0	0
19	लक्षद्वीप	15	6	4
20	मध्य प्रदेश	0	0	22
21	महाराष्ट्र	0	137	27
22	मणिपुर	5	0	7
23	मिजोरम	5	8	0
24	मेघालय	64	1	2
25	नगालैंड	4	18	11
26	ओडिशा	0	0	2
27	पुडुचेरी	0	1	1
28	पंजाब	0	22	0
29	राजस्थान	0	0	0
30	सिक्किम	5	2	0
31	तमिलनाडु	52	1	6
32	तेलंगाना	0	0	10
33	त्रिपुरा	6	0	6
34	उत्तर प्रदेश	0	0	0
35	उत्तराखंड	25	7	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0
[illegible]		352	261	173